



This is a digitally signed Gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 26 जुलाई, 2013/4 श्रावण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 2013

संख्या मुद्रण (बी) 10-20/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (अक्षरयोजन), वर्ग—III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुभागपाल (अक्षरयोजन), वर्ग—III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : मुद्रण (बी) 2-8/97, तारीख 7-6-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग अनुभागपाल (अक्षरयोजन), वर्ग—III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (अक्षरयोजन), वर्ग—III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. **पद का नाम.**—अनुभागपाल (अक्षरयोजन)

2. **पदों की संख्या.**—02 (दो)

3. **वर्गीकरण.**—वर्ग—III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान.**—(1) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 10300-34800/- रुपए जमा 3200/- रुपए ग्रेड पे।

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 13,500/- रुपए (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रतिमास।

5. **“चयन” पद अथवा “अचयन” पद.**—अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेदित किए गए हैं, /किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—
(क) अनिवार्य अर्हताएं.—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 पास या इसके समतुल्य।

(ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त, किसी संस्थान से अक्षरयोजन के ट्रेड में दो वर्ष का नेशनल ट्रेड/प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र।

(iii) किसी सरकारी मुद्रणालय/आई0 एस0 ओ0 प्रमाणित प्राईवेट मुद्रणालय की अक्षरयोजन शाखा में से पर्यवेक्षक की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.—लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाएगा.—सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। ऐसा न होने पर सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) और कम्प्यूटर (अक्षरयोजन)/कम्पोज़िटर का संयुक्ततः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) के रूप में दो वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होना चाहिए:

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नत के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—समिति जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (अक्षरयोजन), को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त अनुभागपाल (अक्षरयोजन), को 13,500/— रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 410/— रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,500/— रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 410/— रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के

लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध(धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 'ख'

अनुभागपाल (अक्षरयोजन), और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है, और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अनुभागपाल (अक्षरयोजन), के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार अनुभागपाल (अक्षरयोजन), के रूप में से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13500/— रुपए प्रति मास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण, ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त अनुभागपाल (अक्षरयोजन), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त अनुभागपाल (अक्षरयोजन), को उपरोक्त के सिवाये किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकेगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :—

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :—

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran (B)10-20 / 2010 dated 20-7-2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th July, 2013

No. Mudran (B)10-20/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Section Holder (Composing), Class-III (Non-Gazetted)**, Non-Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Section Holder (Composing), Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services**, Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Section Holder (Composing), Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified *vide* this department Notification No: Mudran(B)2-8/97 Dated 7-6-2001 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
MANISHA NANDA,
Pr. Secretary (P&S).

Annexure “A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION HOLDER (COMPOSING) CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post.**—Section Holder (Composing)
2. **Number of Post(s).**—02 (Two)
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial-Services.
4. **Scale of Pay.**—(i) Pay Scale for regular incumbents ₹ 10300-34800+3200 Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees ₹ 13,500/- P.M. (as per details given in Col. 15-A).
5. **Whether Selection post or Non-Selection post.**—Non-Selection.
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis ;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector

Corporations/Autonomous Bodies, who are/were subsequently appointed by such corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).—*Essential Qualification(s).*—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(ii) Two years National Trade/Apprenticeship Certificate Course in the trade of Composing or its equivalent from an I.T.I or from an Institution duly recognized by the Central / State Government.

(iii) Three years experience in supervisory capacity in composing branch of a Government Press/ ISO certified Private Printing Press.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee (s).—*Age :* Not applicable.

Educational Qualification.—Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion /deputation / transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Section Holder (Composing) who possess three years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade, failing which by promotion from amongst the Assistant Section Holder (Composing) who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any as Assistant Section Holder (composing) and Computer (composing) /Compositor combined, out of which 2 years essential service must be as Assistant Section Holder (Composing) For the purposes of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise interse-seniority, shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc

appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION : The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency, as the case may be, considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc.of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT : (a) Under this policy, the **Section Holder (Composing)** in the Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB : The Controller, Printing & Stationery Department, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. **HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.**

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Section Holder (composing)** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 13,500/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of ₹ 410/- (3% of the minimum of pay band+grade pay) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 13,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 410 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, leads to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure “B”

Form of contract/agreement to be executed between the Section Holder (Composing) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery, H.P.

This agreement is made on this.....day of..... in the year.....Between.....Sh/Smt.....S/o/D/o Shri R/o..... Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Section Holder (Composing)** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Section Holder (Composing)** for a period of one year commencing on day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY

shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 13500 /- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Section Holder (Composing)** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual **Section Holder (Composing)**.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorised absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Section Holder (Composing)** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....
.....
.....

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.....

.....

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

.....

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.....

.....

(Name and full Address)

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla -2, the 8th July, 2013*

No. TBD(A) 4-3/2004.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute the Himachal Pradesh Gaddi Kalyan Board under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh. The official and non-official members of the Board Shall be as under:—

OFFICIAL MEMBER

1. Chief Secretary	Member
2. Additional Chief Secretary (Forest)	Member
3. Additional Chief Secretary (SJ& E)	Member
4. Additional Chief Secretary (Agriculture)	Member
5. Additional Chief Secretary (Horticulture)	Member
6. Principal Secretary to C.M	Member
7. Principal Secretary (Industries)	Member
8. Principal Secretary (Animal Husbandry)	Member
9. Principal Secretary (Revenue)	Member
10. Principal Secretary (Education)	Member
11. Principal Chief Conservator of Forest	Member
12. Director (Industries)	Member
13. Director (Animal Husbandry)	Member
14. D.C Chamba	Member
15. D.C Sirmour	Member
16. D.C Kangra	Member
17. D.C Lahaul & Spiti	Member
18. D.C Kinnaur	Member
19. Principal Secretary (TD)	Member Secretary

NON OFFICIAL MEMBERS

1. Smt. Kamla Devi, Pradhan Gram Panchayat Chandpur, Teh. Palampur, Distt. Kangra, (H.P.).
2. Sh. Santosh Pradhan, GP Bundla, VPO Bundla, Teh. Palampur, Distt. Kangra. (H. P.).
3. Sh. Rattan Lambardar VPO Bundla, Teh. Palampur, Distt Kangra, (H.P.).
4. Sh. Jagdish Retd, Dy. Dir. Education, Lampat, VPO Dharati, Distt. Kangra (H.P.).
5. Sh. Suresh, Pradhan, GP Kandi, VPO Kandi, Distt. Kangra (H.P.).
6. Smt. Kamla Kapoor W/o Sh. Pratap Kapoor, Vill. Kushmal, PO Bagoda, Teh. Palampur, Distt. Kangra (H.P.).
7. Capt. Hoshiar Singh s/o Ghungar Ram, VPO Mcleodganj, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra. (H.P.).
8. Sh. Arjun Singh S/o Sh. Machla Ram, R/o Vill. Khundian, Distt. Kangra (HP).
9. Sh. Nathu Ram S/o Late Sh. Gorakh Ram, VPO Gurchal, Distt. Kangra (HP).
10. Sh. Madan Sharma S/o Sh. Bhim Sen, R/o VPO Jassur, Teh. Nurpur, Distt. Kangra (HP).
11. Sh. Baldev Bali S/o Sh. Sharaf Sharma, VPO Bassa Bazira, Distt. Kanga (HP).
12. Sh. Kartar Singh S/o Sh. Jodu Ram, R/o Vill. Katroh, PO Kherian, Distt. Kangra. (HP).
13. Sh. Dumnu Ram R/o Vill. Bhajan Kukari, PO Samote, Teh. Chowari, Distt. Chamba, (HP).
14. Sh. Tilak Raj R/o Vill. Cheli, PO Raipur, Teh. Chowari, Distt. Chamba, (H.P.).
15. Sh. Vikram Singh Ex-Pradhan, R/o Vill. Kaimbly, PO Banet, Teh. Chowari, Distt. Chamba, (HP).
16. Sh. Sukhdev Ex-Pradhan, Vill. Draman, PO Kuddi, Teh. Chowari, Distt. Chamba (HP).
17. Sh. Raj Kumar Ex-Up Pradhan, R/o Vill. Jhajari, PO Malunda, Teh. Chowari, Distt. Chamba, (H.P.).
18. Sh. Lalman S/o Late Sh. Loji Ram, President ST Cell Shahpur, Vill. Bhitlu, PO Chamiyara, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra, (H.P.).
19. Sh. Chuni Lal S/o Sh. Shobha Ram, Vill. Bhuin Ridkumar, PO Ridkumar, Teh. Shahpur, Distt. Kangra, (HP).
20. Sh. Desh Raj S/o Sh. Tulsi Ram, Vill. Barnet, PO Tota-Rani, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra, (H.P.).
21. Sh. Ajay Kumar S/o Sh. Jatu Ram, Vill. Sehun PO Chhatri, Teh. Shahpur, Distt. Kangra, (H.P.).
22. Sh. Jodha Ram S/o Sh. Bhani Ram, Vill. Ruled, PO Boh, Teh. Shahpur, Distt. Kangra, (HP).
23. Sh. Hitender Singh Thakur VPO Sihunta, Teh. Bhatiyat, Distt. Chamba, (HP).
24. Sh. Dharm Singh S/o Sh. Laddakh Singh, Vill. Thapkur, PO Bhadroa, Teh. Nurpur, Distt. Kanga, (H.P.).
25. Sh. Joginder Pal Ex-Pradhan, Gram Panchayat Bakani, Vill. Jadda, PO Bakani, Teh. & Distt. Chamba, (H.P.).
26. Sh. Dev Raj Ex-Pradhan, Gram Panchayat Baloth, PO Khundel, Teh. & Distt Chamba, (H.P.).

27. Sh. Devender Sharma VPO Loona, Teh. Bharmour, Distt. Chamba, (H.P.).
28. Sh. Chaman Lal Sharma VPO Chatrari, Teh. & Distt. Chamba, (H.P.).
29. Sh. Jaram Singh Ex-Pradhan, Gram Panchayat, Chobhiya, VPO Chobhiya, Teh. Bharmour, Distt. Chamba, (H.P.).
30. Sh. Joginder sharma VPO Harsar, Teh. Bharmour, Distt. Chamba, (H.P.).
31. Sh. Bhim Sen VPO Tundah, Teh. Bharmour, Distt. Chamba, (H.P.).
32. Sh. Milap Chand VPO Ghared, Teh. Bharmour, Distt. Chamba, (H.P.).
33. Sh. Rakesh Chambiyal Municipal Councillor, Lohali, Dalhousie, Distt. Chamba, (H.P.).
34. Sh. Hem Raj Berry Ex-Pradhan, Vill. Sukrain Bain, PO Bathri, Distt Chamba, (H.P.).
35. Sh. Gyan Chand Ex-BDC, Vill. Pudan, PO Snooh, Teh. Salooni, Distt, Chamba, (H.P.).
36. Sh. Bhagat Ram Ex-Pradhan, Vill. Baroti, PO Lanot, Teh. Salooni, Distt. Chamba, (H.P.).
37. Sh. Chatro Ram VPO Salooni, Teh. Salooni, Distt. Chamba, (H.P.).
38. Sh. Totu Ram R/o Vill. Kuthed Teh. Chamba, Distt. Chamab (H.P.).
39. Sh. Chain Lal R/o Vill. Tungli, Teh. Chamba, Distt. Chamba, (H.P.).
40. Sh. Jagdish R/o Vill. Karori, Teh. Chamba, Distt. Chamba, (H.P.).
41. Sh. Tek Chand R/o Vill. Dugly, Teh. Churah, Distt. Chamba, (H.P.).
42. Sh. Sobia Ram R/o Vill. Lounni, Teh. Chamba, Distt. Chamba, (H.P.).
43. Sh. Om Parkash Pradhan G.P. Deol, Teh. Baijnath, Distt. Kangra, (H.P.).
44. Sh. Jagat Ram Ex-Pardhan, G.P. Phatahar, Teh. Baijnath, Distt. Kangra, (H.P.).
45. Sh. Mohinder Kumar Up-Pradhan, G.P. Utrala, Teh. Baijnath, Distt. Kangra, (H.P.).
46. Sh. Munsu Ram Ex-Pardhan, G.P. Dharer, Teh. Baijnath, Distt. Kangra, (H.P.).
47. Sh. Honsher Ram Pradhan, G.P. Paprola Khas, Teh. Baijnath, Distt. Kangra, (H.P.).

TENURE.—The tenure of the Board will be for three years.

The terms and conditions for granting TA/DA to the non official members of the Board will be the same issued from time to time by the Government.

By order,
V. C. PHARKA,
Principal Secretary.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA– 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th July, 2013

No. HHC/GAZ/14-231/97.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 16 days' earned leave *w.e.f.* 12-8-2013 to 27-8-2013 with permission to prefix gazetted holiday, Second Saturday and Sunday falling on 9-8-2013 to 11-8-2013 and to suffix gazetted holiday falling on 28-8-2013 in favour of Shri Ajay Mehta, Civil Judge(Sr. Division)-cum-CJM, Mandi, H.P.

Certified that Shri Ajay Mehta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Ajay Mehta would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd July, 2013

No. HHC/GAZ/14-219/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 8 days earned leave *w.e.f.* 1-8-2013 to 8-8-2013 with permission to suffix 9th, 10th and 11th August, 2013 being gazetted holiday, Second Saturday and Sunday respectively in favour of Shri Mukesh Bansal, Additional District and Sessions Judge Chamba.

Certified that Shri Mukesh Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mukesh Bansal would have continued to hold the post of Additional District & Sessions Judge, Chamba, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd July, 2013

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Session Judge, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the Court of Additional District and Session judge, Chamba under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Mukesh Bansal, Additional District and Session Judge, Chamba *w.e.f.* 1-8-2013 to 8-8-2013 with permission to suffix 9th, 10th and 11th August, 2013 being gazetted holiday, Second Saturday and Sunday respectively.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 24th July, 2013*

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(I), Mandi as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-III and class-IV official attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Ajay Mehta, Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Mandi, w.e.f 12-8-2013 to 27-8-2013 with permission to prefix gazetted holiday, Second Saturday and Sunday falling from 9-8-2013 to 11-8-2013 respectively and to suffix gazetted holiday falling on 28-8-2013, or till he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 25 जुलाई, 2013

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०)एफ(5) 17/2013.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बनीयाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा० उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	बनीयाला	89	0-4
			90	0-3
			91	0-6
			92	0-10
			93	0-4
			584/98	0-1
			585/98	0-0 कम अज विस्वा
			99	0-1
			113	0-15
			94	0-6
			121	0-3
			किता: 11	2-13

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 25 जुलाई, 2013

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(५) 27/2013.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः शब्बोवाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा० उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	शब्बोवाल	198 / 39 / 1	0-2
			200 / 40 / 1	0-1
			221 / 143 / 1	0-7
			148 / 1	0-2
			147 / 1	0-17
			146 / 1	0-6
			145	0-8
			160 / 1	0-6
			164 / 1	0-3
			162 / 1	0-2
			174 / 1	0-10
			173 / 1	0-19
			225 / 177	1-0
			149 / 1	0-8
			223 / 144	1-9
			किता: 15	7-0

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2013

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 30/2013.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव थाना, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा० उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी				
जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकवा (बीघा में)
सोलन	नालागढ़	थाना	15 / 1	0—7
			16 / 1	1—1
			26 / 1	0—6
			26 / 2	0—6
			87	0—4
			94	0—4
			93 / 1	0—1
			95 / 1	0—3
			97 / 1	0—9
			98 / 1	0—7
किता: 10			3—8	

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

SPECIFIC NOTIFICATION FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 26th July, 2013

No. Fin-2-C-(12)-1/2013.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 5-year tenure for an aggregate amount of ₹ 197.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

1. Object of the loan.— (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

2. Method of Issue.—Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

3. Allotment to Non-Competitive Bidders.—The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

4. Place and Date of Auction.—The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **July 31, 2013**. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on **July 31, 2013**.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

5. Result of the Auction.—The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on August 1, 2013.

6. Method of Payment.—Successful bidders will make payments on **August 1, 2013** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

7. Tenure.—The Stock will be of 5-year tenure. The tenure of the Stock will commence on **August 1, 2013**.

8. Date of Repayment.—The loan will be repaid at par on **August 1, 2018**.

9. Rate of Interest.—The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on **August 1** and **February 1**.

10. Eligibility of Securities.—The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh
Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh
Finance Department.

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 26th July, 2013

No. EXN-B (6)-2/2005-Loose.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to order transfer and posting of following Asstt. Excise & Taxation Commissioners on administrative grounds with immediate effect:—

Sr. No.	Name of AETC	From	To	Remarks
1.	Shri Rajiv Dogra,	Rev. Distt Baddi	Rev. Distt Solan	In condonation of short stay with TTA/JT.
2.	Dr. Sunil Kumar,	Rev. Distt Solan	Rev. Distt Baddi	In condonation of short stay with TTA/JT.

The above officers will join at new place of posting immediately and send their joining report to the ETC and this Deptt. accordingly.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव मंघोल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव मंघोल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री पूजा राणा का जन्म दिनांक 15-9-1992 को मुहाल मंघोल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 18-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव मंघोल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव मंघोल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री तनुजा राणा का जन्म दिनांक 15-9-1990 को मुहाल मंघोल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 18-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव छोटी डोली, डाकघर चढियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव छोटी डोली, डाकघर चढियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र रौकी सिंह राणा का जन्म दिनांक 30-12-1989 को मुहाल छोटी डोली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-8-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 18-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र साहिल का जन्म दिनांक 5-12-2002 को मुहाल सिम्बल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री शिवानी का जन्म दिनांक 13-11-1999 को मुहाल सिम्बल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी० सी० ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री वकील चन्द पुत्र श्री छांगा राम, निवासी धार बही, डाकघर बही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वकील चन्द पुत्र श्री छांगा राम, निवासी धार बही, डाकघर बही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अनीता का जन्म दिनांक 1-2-1979 को मुहाल धार बही में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 19/2013

तारीख पेशी : 14-8-2013

शीर्षक :

श्री हरी सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी मुहाल पंझियाल, डा0 पुड़वा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री हरी सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी मुहाल पंझियाल, डा0 पुड़वा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का असली नाम भगत राम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल पंझियाल, मौजा पुड़वा व मुहाल तमलोह, मौजा घराणा, उप-तहसील धीरा में दीना दर्शाया गया है, जोकि गलत दर्ज है। अतः मेरे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जावे।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-8-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल पंझियाल, मौजा पुड़वा व मुहाल तमलोह, मौजा घराणा, उप-तहसील धीरा में दीना के बजाए दीना उपनाम भगत राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री मनी राम पुत्र श्री ज्ञान जीत, निवासी गांव व डाकघर छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

इशतहार बाबत पुत्री का नाम परिवार रजिस्टर में पुनः दर्ज करने बारे।

उपरोक्त दरखास्त बराए अपनी पुत्री श्रीमती अंजना देवी का नाम ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के परिवार रजिस्टर में पुनः दर्ज करने बारे श्री मनी राम पुत्र श्री ज्ञान जीत, निवासी गांव व डाकघर छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी पुत्री अंजना देवी ने श्री सन्दीप रोहतगी पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी ए/8, अशोक नगर, गली नम्बर 2, मकान नम्बर 19, दिल्ली के साथ करीब 9 वर्ष पहले अपने रीति-रिवाज से शादी की थी। जैसे ही शादी हुई, आवेदक की पुत्री का नाम अपनी स्थानीय पंचायत से नियमानुसार काट दिया गया लेकिन जहां उसकी शादी हुई थी उस स्थान पर उसका नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया। नौ वर्ष बाद पति-पत्नी के आपसी झगड़े के कारण आपस में तलाक हो गया। अब अंजना देवी अपने मायके अर्थात् गांव छोटा कम्बा, में आवेदक के साथ रहती है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत छोटा कम्बा को आदेश दिए जाएं कि वह अंजना देवी का नाम मनी राम पुत्र ज्ञान जीत, निवासी गांव छोटा कम्बा के परिवार रजिस्टर में दर्ज करे।

अतः आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त आवेदक की पुत्री श्रीमती अंजना देवी का नाम ग्राम पंचायत छोटा कम्बा, के अभिलेख में बतौर पुत्री श्री मनी राम पुत्र ज्ञान जीत के परिवार रजिस्टर में पुनः दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-8-2013 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा आवेदक की पुत्री श्रीमती अंजना देवी का नाम ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के अभिलेख में बतौर पुत्री श्री मनी राम पुत्र ज्ञान जीत पुनः दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत छोटा कम्बा को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भगत सिंह, निवासी गांव नालिंग (रूपी), तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इशतहार बाबत पत्नी का नाम दर्ज करने बारे।

उपरोक्त दरखास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती युम दासी का नाम ग्राम पंचायत रूपी के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भगत सिंह, निवासी गांव नालिंग (रूपी), तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी युम दासी पुत्री श्री छेवांग नरगु, निवासी गांव व तहसील काल्पा, जिला किन्नौर (जिसकी जन्म तिथि 20 नवम्बर, 1979 है) के साथ दिनांक 9 अप्रैल, 2011 को हुई है तथा ग्राम पंचायत कल्पा से युम दासी का नाम काट कर प्रमाण-पत्र ले लिया गया था लेकिन अज्ञानतावश पत्नी का नाम ग्राम पंचायत रूपी में उनके परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करा सका है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत रूपी को उनकी पत्नी युम दासी का नाम व जन्म तिथि पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती युम दासी का नाम ग्राम पंचायत रूपी में आवेदक के परिवार रजिस्टर में बतौर पत्नी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भगत सिंह दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2013 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती युम दासी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूपी के अभिलेख में बतौर पत्नी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भगत सिंह दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत रूपी को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री भगत सिंह पुत्र श्री अकल वीर, निवासी गांव ग्रांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत पत्नी का नाम परिवार रजिस्टर में इन्द्राज करने बारे।

उपरोक्त दरखास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती फूल देवी का नाम परिवार रजिस्टर में इन्द्राज करने बारे प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा गुजारिश की गई है कि पति-पत्नी घर से दूर रहने व अज्ञानता के कारण नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में इन्द्राज न कर सके और फूल देवी का नाम उसके मायके वाली पंचायत के परिवार रजिस्टर से काट दिया गया है। अब उसका नाम कहीं भी किसी भी परिवार रजिस्टर में दर्ज न है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत निचार को आदेश दिया जाए कि वह फूल देवी का नाम भगत सिंह पुत्र अकलवीर, निवासी ग्राम ग्रांगे, डाकघर निचार, तहसील निचार के परिवार रजिस्टर में बतौर पत्नी इन्द्राज किया जाए।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को फूल देवी पत्नी भगत सिंह, निवासी ग्राम ग्रांगे, डाकघर निचार, तहसील निचार के परिवार रजिस्टर में फूल देवी का नाम इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2013 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा फूल देवी का नाम भगत सिंह पुत्र अकलवीर, निवासी ग्राम ग्रांगे, डाकघर निचार, तहसील निचार के परिवार रजिस्टर में इन्द्राज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत निचार को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री मकर सैन, निवासी गांव थाच, डाकघर निगुलसरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत पत्नी का नाम परिवार रजिस्टर से कटवाने बारे।

उपरोक्त दरखास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती योगिता कुमारी का नाम परिवार रजिस्टर से कटवाने बारे प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा गुजारिश की गई है कि दो वर्ष तक बतौर पति-पत्नी रहने के बाद आपसी ताल्लुकात ठीक न होने के कारण दोनों ने एक-दूसरे को बतौर पति-पत्नी छोड़ दिया है और योगिता ने रविन्द्र कुमार के हकीकी भाई श्री रविकान्त के साथ विवाह कर लिया है। इस बारे योगिता ने इस कार्यालय

को ब्यान हल्फी द्वारा अवगत करवाया है। अब श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री मकर सैन ने भी दूसरा विवाह कर लिया है और दोनों ने पति-पत्नी का रिश्ता त्याग दिया है। अब योगिता बतौर पत्नी श्री रविकान्त के साथ रहती है और उसे रविन्द्र कुमार के परिवार रजिस्टर से बतौर पत्नी नाम कटवाने में कोई आपत्ति नहीं है वह अपना नाम रविकान्त के साथ बतौर पत्नी इन्द्राज करना चाहती है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत तराण्डा को आदेश दिया जाए कि वह योगिता का नाम रविन्द्र कुमार पुत्र मकर सैन, निवासी ग्राम थाच, डाकघर निगुलसरी, तहसील निचार के परिवार रजिस्टर से बतौर पत्नी कटवाया जाए।

अतः आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को योगिता कुमारी पत्नी रविकान्त, निवासी गांव थाच, डाकघर निगुलसरी के परिवार रजिस्टर से कटवाने में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2013 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा योगिता कुमारी का नाम रविन्द्र कुमार, निवासी गांव थाच, डाकघर निगुलसरी, के परिवार रजिस्टर से कटवाने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत तराण्डा को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरबक्श सिंह पुत्र श्री रल्ला राम, निवासी ग्राम बघेरी, डा0 खिल्लयां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री गुरबक्श सिंह पुत्र श्री रल्ला राम, निवासी ग्राम बघेरी, डा0 खिल्लयां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 6-5-1976 को श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री बाबू राम पत्नी श्री गुरबक्श, निवासी ग्राम बघेरी, तहसील नालागढ़, के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी अपनी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत बघेरी, तहसील नालागढ़ में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह श्री गुरबक्श सिंह पुत्र श्री रल्ला राम, निवासी ग्राम बघेरी, डा0 खिल्लयां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री बाबू राम पत्नी श्री गुरबक्श, निवासी ग्राम बघेरी, तहसील नालागढ़, की शादी कार्यालय ग्राम पंचायत बघेरी, तहसील नालागढ़ में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-8-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 6-8-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-7-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

उप-मण्डलाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Jyoti Shekhar wife of Shri Avinhas Chandra Shekhar, r/o Room No. T-15A, Railway Colony Solan, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General Public

.. *Respondent.*

NOTICE

Whereas applicant Smt. Jyoti Shekhar wife of Shri Avinhas Chandra Shekhar, r/o Room No. T-15A, Railway Colony Solan, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of name of her daughter namely Yamini Shekhar in the birth record of M. C. Solan, as her name was entered in M. C. record Solan as Muskan Shekhar, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any regarding correction of name Kumari Yamini Shekhar in the record of M. C. Solan in place of Muskan Shekhar in writing to this office. The objections should reach this office on or before 27th July, 2013 positively, otherwise necessary order will be passed to correct his name in the Municipal Committee Record.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.*

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT SHIMLA-171004**NOTIFICATION**

Shimla-4, the 26th July, 2013

No. VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee and in compliance of judgment delivered in C.W.P. No. 4511/2012 dated 16-05-2013 by Hon'ble High Court titled Rakesh Thakur versus State of Himachal Pradesh & Others, the Hon'ble Speaker is pleased to promote Sh. Rakesh Thakur, Research Assistant to the post of Research Officer (Class-I Gazetted) in the pay scale of PB-3 corresponding PB ₹ 10300-34800+ 5000 Grade Pay + 800 Secretariat Pay purely on adhoc basis with immediate effect.

This adhoc promotion shall not confer any right or claim on Sh. Rakesh Thakur for his regular promotion to the post of Research Officer and seniority thereon.

By order,

Sd/-

*Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.*